93/2013

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
6-9-21	पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। समयाभाव के कारण निर्णय लिखा नहीं जा सका। उभय पक्ष के अधिवक्ता गण उपस्थित। अधिवक्ता रेस्पो. स. एक ने निवेदन किया कि मामले में राजीनामा होने की सम्भावना है तथा पक्षकारान के मध्य समझौता वार्ता चल रही है। अतः राजीनामा हेतु समय प्रदान किया जावे। न्यायहित में समय दिया जाकर पत्रावली दिनांक 7-09-2021 को पेश हो Sd/-	
वकील अपी. सं.1 Sd/- बाबू खां (अपीलांट सं 1 रतन खां (अपीलांट सं. 2 अपीलांट पक्ष शरीफ खां (2/1) सादिक खां (2/2) RTI कुरैशा (2/4)	7/9/2021 पत्रावली पेश हुई। वकील उभय पक्ष मय उल्लिखित पक्षकार उपस्थित आए। अपीलांट पक्ष के बाबू खां ने मय अपने अधिवक्ता एक 'राजीनामा' पेश किया जिस पर रेस्पो. सं. 1 एवं उसके अधिवक्ता के भी संयुक्त हस्ताक्षर हैं, जिसे शामिल मिसल किया। इस राजीनामा पर अपीलांट सं 2 खेवर खां, जिसने पूर्व में एक आवेदन देकर दि० 17/8/2021 को अपील विड्रो करने का निवेदन किया और उसके आवेदन को स्वीकार भी कर लिया गया था, के भी हस्ताक्षर हैं। अपीलांट पक्ष के ही सागरखां के कायम मुकाम सं० 2/1 से 2/4 की ओर से मय अपने अधिवक्ता के संयुक्त हस्ताक्षरों से एक 'राजीनामा' और पृथक से पेश किया गया जिसे भी शामिल मिसल किया गया।	अनीस खां (रेस्पो. सं. 1 Sd/- (अधिवक्ता रेस्पो. सं. 1

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
7.9.21	इस दूसरे 'राजीनामा' पर भी रेस्पो सं.1 के हस्ताक्षर हैं। उपस्थित पक्षकारान की पहचान उनके विद्वान अधिवक्तागण ने की, साथ ही उनके I.D Proof बाबत मूल आधार कार्ड से शिनाख्त पुख्ता की जाकर इनकी प्रति मय संबंधित के हस्ताक्षर/अंगुष्ठ निशान के पत्रावली पर रखी गई। 'राजीनामा' पर पक्षकारों के हस्ताक्षर हैं फिर भी इनकी शिनाख्त एवं उपस्थिति के रूप में पत्रावली की आदेशिका में भी इस राजीनामा के आशय के हस्ताक्षर/अंगुष्ठ निशान और लिये गए हैं।	
	संशोधित अपील शीर्षक के मुताबिक अपीलांट पक्ष में अपीलांट सं.1 बाबूखां तथा अपीलांट सं. 2/1, से 2/4 क्रमशः शरीफखां, शाहरुखखां @ शानूखां; अरबाजखां एवं खुर्शीदा हैं। प्रथम राजीनामा बाबूखां द्वारा तथा दूसरा राजीनामा शाहरुखखां @ शानूखां; शरीफखां अरबाजखां तथा खुर्शीदा की तरफ से पेश है।	
	दोनों प्रस्तुत राजीनामा के मजमून एक समान ही हैं जिसका सारांश है कि "अपीलांट और रेस्पोंडेन्ट की ओर से राजीनामा निम्न प्रकार से प्रस्तुत किया जा रहा है कि-	
	(1) कि अपीलांट बाबूखां, खुर्शीदा, शरीफखां, शाहरुखखां और अरबाजखां और रेस्पोंडेंट अमीनखां के बीच आपसी समझाईश से तथा गांव के मौजिज व्यक्तियों द्वारा समझाईश करने से दोनों पक्षकारों में राजीनामा हो गया है।	
	2) यह है कि अपीलांट्स और रेस्पांडेंट के बीच किसी प्रकार का विवाद नहीं रहा है।	
	P.T.O	

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
7.9.2021	3) यह है कि अपीलांट आगे अपील को चलाना नहीं चाहते हैं तथा आज ही जरिये राजीनामा अपील को विड्रो करना चाहते हैं। 4) यह है कि अपील को जरिये राजीनामा फैसल शुमार करने का आदेश फरमाया जावे। अत: राजीनामा पेश कर निवेदन है कि राजीनामा रेकार्ड पर लिया जाकर अपील को जरिये राजीनामा फैसल शुमार करने का आदेश फरमाया जावे। दोनो राजीनामा के मजमून पृथक -2 अपीलांट्स को पढ़कर सुनाया, इनके द्वारा इसे स्वीकार किया जाना और इस पर इनके हस्ताक्षर (प्रत्येक का विवरण मय I.D proof अंकित है) होना अंगीकार किया जिसके फलस्वरूप प्रस्तुत दोनो राजीनामा को स्वीकार करने में कोई आपत्ति/अड़चन नही है। अपील अपीलांट जरिये प्रस्तुत राजीनामा विड्रो करने के निवेदन पर अपील जरिये विड्रोवल खारिज की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो, बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दि. 7/9/2021 को खुले इजलास उभय पक्ष की उपस्थिति में सुनाया गया। [signature] राजस्व अपील प्राधिकारी जोधपुर	